



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082025-265652
CG-DL-E-23082025-265652

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3745]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2025/श्रावण 31, 1947

No. 3745]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2025/SHRAVANA 31, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2025

का. आ. 3850अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और खाद्य और पेय पदार्थों के लिए बर्तन और डिब्बे, और इसी प्रकार के कुकवेयर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 के अधिक्रमण में, सिवाय ऐसे कार्यों के जो अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा जिन्हें किए जाने से छोड़ दिया गया, केन्द्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:-

1. संक्षिप्त शीर्षक, और प्रारंभ.- (1) इस आदेश को खाद्य और पेय पदार्थों के लिए बर्तन और डिब्बे, और इसी प्रकार के कुकवेयर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग- तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट भारतीय मानक संबंधी तदनुरूपी प्रविष्टि के अनुरूप होंगे तथा उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगा:

बशर्ते यह भी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत परिभाषित लघु उद्यम और सूक्ष्म उद्यम क्रमशः तालिका के कॉलम (6) और (7) में विनिर्दिष्ट संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तिथि से ऐसे भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगे;

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के उद्यम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत किसी उद्यम द्वारा घरेलू स्तर पर विनिर्मित वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगा, जिसमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में मूल लागत पर निवेश पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं है और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार पिछले वित्त वर्ष का टर्नओवर दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है:

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी, ब्यूरो द्वारा प्रमाणित विनिर्माता या प्रमाणन के लिए ब्यूरो को आवेदन करने वाले विनिर्माता या सुसंगत वस्तुओं और सामानों के लिए आयातक द्वारा इस आदेश की तालिका में निर्दिष्ट कार्यान्वयन की तिथि से पहले घरेलू रूप से विनिर्मित या आयातित वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगी, और ऐसे विनिर्माता या आयातक को इस आदेश की तालिका में विनिर्दिष्ट कार्यान्वयन की तिथि से छह माह तक ऐसे घोषित स्टॉक को बेचने या प्रदर्शित करने या उसे बिक्री हेतु पेश करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि ऐसा विनिर्माता या आयातक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ब्यूरो के समक्ष इस आशय की घोषणा करे:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी भारत में आयात किए जाते समय ठोस, द्रव या गैस, किसी भी रूप में सामग्री से भरे माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगी:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी खाद्य और पेय पदार्थों के लिए बर्तन और डिब्बे, और इसी प्रकार के कुकवेयर विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के उद्देश्य से प्रति वर्ष आयातित दो सौ वस्तुओं या सामानों के लिए लागू नहीं होगा, इस शर्त के साथ कि ऐसी आयातित वस्तुएं और सामानों की वाणिज्यिक रूप से बिक्री नहीं की जाएगी और उन्हें स्ट्रैप के रूप में निपटाया जा सकता है और विनिर्माता वस्तुओं या सामानों का वर्षवार रिकॉर्ड रखेंगे और उसे केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

तालिका

क्रम सं.	वस्तुएं या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	सामान्यतः कार्यान्वयन की तारीख (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर)	लघु उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तारीख	सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	खाद्य और पेय पदार्थों के लिए बर्तन और डिब्बे, कुकवेयर	14756:2024	स्टेनलेस स्टील से बने बर्तन	1 अक्तूबर, 2025	1 जनवरी, 2026	1 अप्रैल, 2026
2.		1660:2024	गढ़े (रॉट) एल्यूमीनियम से बने बर्तन			
3.		13983:1994	घरेलू प्रयोजनों के लिए स्टेनलेस स्टील के सिंक			
4.		18427:2024	खाद्य और पेय पदार्थों के लिए तीन पीस वाले गोल खुले टॉप के धातु के डिब्बे			
5.		14407:2023	पेय पदार्थों के लिए एल्यूमीनियम के डिब्बे			

टिप्पणी : इस तालिका के प्रयोजनों के लिए ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित संशोधनों सहित भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण लागू होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – उक्त ब्यूरो तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी– इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

[फा. सं. पी-29026/14/2023-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 21st August, 2025

S.O. 3850(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Cookware, Utensils and Cans for foods and beverages (Quality Control) Order 2024, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Cookware, Utensils and Cans for Foods and Beverages (Quality Control) Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. Compulsory use of Standard Mark.– Goods or articles specified in column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that the micro enterprise and small enterprise, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table respectively:

Provided also that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically by an enterprise, registered under Udyam portal of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, wherein the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed twenty-five lakh rupees and the turnover does not exceed two crore rupees for the previous financial year as certified by a Chartered Accountant:

Provided also that nothing in this order shall apply to goods or articles domestically manufactured or imported before the date of implementation specified in the Table of this order by the manufacturer certified by the Bureau or manufacturer who has applied to the Bureau for certification or by the importer for the relevant goods and articles and such manufacturer or importer shall be permitted to sell or display or offer to sell such declared stock up to six months from the date of implementation specified in the Table of this Order, subject to the condition that such manufacturer or importer shall make a declaration to this effect certified by a Chartered account to the Bureau:

Provided also that nothing in this order shall apply to goods or articles filled with material in any form solid, liquid or gas, when imported into India:

Provided also that nothing in this order shall apply for two hundred numbers of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of Cookware, Utensils and Cans for Food and Beverages per year with the condition that such imported goods and articles shall not be sold commercially and shall be disposed of as a scrap and the manufacturer shall maintain a year-wise record of such goods and articles and furnish to the Central Government.

TABLE

S.No.	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of implementation in general (other than micro and small enterprises)	Date of implementation for small enterprises	Date of implementation for micro enterprises
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Cookware, Utensils and Cans for foods and beverages	14756:2024	Stainless Steel Utensils	1 st October, 2025	1 st January, 2026	1 st April, 2026
2.		1660:2024	Wrought Aluminium Utensils			
3.		13983:1994	Stainless Steel Sinks for Domestic Purposes			
4.		18427:2024	Three piece round open top metal cans for foods and beverages			
5.		14407:2023	Aluminium cans for beverages			

Note.—For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

3. Certification and enforcement authority.—The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (2) of the Table.

4. Penalty for contravention.— Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

[F. No. P-29026/14/2023-LEI]

SANJIV, Joint Secy.